



महिलाओं के कानूनी अधिकार

हेमलता कुम्पावत

असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग

स.पू.चौ.रा.महाविद्यालय, अजमेर

शोध सार

प्राचीनकाल में नारी के सम्बन्ध में यह कहा जाता था कि “यंत्र नार्यस्तु पुज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता” किन्तु पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था एवं महिलाओं की कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण उनकी स्थिति दोयम दर्जे की हो गई। भारतीय संविधान सभी नागरिकों के साथ-साथ महिलाओं को भी सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक अधिकार प्रदान करता है। सरकार भी उनको सशक्त बनाने एवं उनकी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में सुधार लाने हेतु विभिन्न प्रयास कर रही है फिर भी महिलाओं को शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना, क्रूरता, घरेलु हिंसा, बलात्कार, बालिका भ्रूण हत्या एवं दहेज प्रताड़ना आदि का शिकार होना पड़ता है जो कि किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्म की बात है।

संकेताक्षर — महिला, सशक्तिकरण, अधिनियम, अनुच्छेद

प्रस्तावना :—

महिला किसी भी सभ्य समाज की रीढ़ होती है किन्तु लैंगिक आधार पर असमानता समाज के विभत्स चेहरे को इंगित करती है। लैंगिक असमानता बहुत प्राचीन किन्तु ज्वलंत समस्या है विषय में इसी आधार पर महिलाएं हिंसा, शोषण एवं भेदभाव की शिकार होती हैं। यदि हम इतिहास के आईने में देखें तो वैदिक समाज में महिलाओं की अपनी पहचान थी किन्तु वहाँ भी पुत्री की अपेक्षा पुत्र की सर्वोच्चता से इंकार नहीं किया जा सकता है। मनु स्मृति में भी महिलाओं को पिता, पति, पुत्र आदि के अधीन रखा गया है। ताकि वही उसका कल्याण निर्धारित कर सकें। मुगल काल में तो महिलाओं की स्थिति और भी शोचनीय हो गयी थी। जोहर, सती प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह, विधवा विवाह निषेध आदि कुरीतियाँ उत्पन्न हो गयी थी। ब्रिटिश काल में एवं उससे पूर्व भी महिलाओं की दशा

सुधारने के प्रयत्न किये गये। जैसे राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विद्यासागर आदि ने महिलाओं की समानता, शिक्षा, सती प्रथा का अंत, विधवा विवाह आदि की वकालत कर समाज में व्याप्त विभिन्न कुरीतियों को दूर करने में समाज सुधारक के रूप में अपना योगदान दिया है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय संविधान जो 1950 में लागू हुआ उससे विभिन्न प्रावधानों एवं कानूनों द्वारा महिलाओं को पुरुषों के समान स्वतंत्रता समानता एवं गरिमामय जीवन जीने के अवसर प्राप्त हुये समय-समय पर संसद द्वारा पारित अनेक अधिनियमों भारतीय दण्ड संहिता एवं भारतीय सिविल संहिता के माध्यम से महिलाओं को सुरक्षा एवं समानता प्रदान की गयी है। जो इस प्रकार है :-

समानता का अधिकार :-

अनुच्छेद 14 :- कानून के समक्ष महिला एवं पुरुष की समानता को सुनिश्चित करता है।

अनुच्छेद 15 :- धर्म मूलवंश, जाति लिंग या जन्म के आधार पर विभेद को निषेध करता है किन्तु यह अनुच्छेद राज्य को स्त्रियों के लिये विशेष प्रबन्ध करने से नहीं रोकती है।

अनुच्छेद 16 :- स्त्री व पुरुष दोनों को लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता को सुनिश्चित करती है।

अनुच्छेद 21 :- के अनुसार किसी भी व्यक्ति को अपने प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर किसी भी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता है।

उपरोक्त अनुच्छेद से स्पष्ट होता है कि महिला को गरिमामय जीवन जीने के लिये उसे प्राण रक्षा के साथ दैहिक स्वतंत्रता एवं व्यक्तिगत निजता का अधिकार भी प्रदान किया गया है।

अनुच्छेद 23 :- के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बैगार वाले कार्य को निषेध किया गया है। इसमें स्त्रियों एवं बच्चों के अनैतिक व्यापार का भी निषेध किया गया है।

अनुच्छेद 39 से 51 तक :- जो की राज्य के नीति निदेशक तत्वों से संबंधित है राज्य को निर्देशित करते है कि

- पुरुषों व स्त्री दोनों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है।

- पुरुषों व स्त्रियों को समान कार्य के लिये समान वेतन दिया जाये। श्रमिक
- पुरुषों व स्त्रियों का स्वास्थ्य तथा शक्ति व बालकों की सुकुमार अवस्था के दुरुपयोग को रोका जाये।

अनुच्छेद 42 :- राज्य कार्य की यथोचित एवं मानवीय दशाओं को सुनिश्चित करने तथा स्त्रियों के लिये प्रसूति सहायता का उपबन्ध करें।

अनुच्छेद 44 :- राज्य समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा।

अनुच्छेद 51 (1) :- में ऐसी परम्पराओं और प्रथाओं का परित्याग करने पर बल दिया गया है जो कि महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध है।

अनुच्छेद 325 व 326 में महिला व पुरुष दोनों को समान रूप से मत देने एवं उम्मीदवार के रूप में भाग लेने का अधिकार प्रदान करता है।

अनुच्छेद 243 डी के अन्तर्गत हमारा संविधान महिलाओं के लिये पंचायती स्तर पर 33 प्रतिषत आरक्षण की व्यवस्था करता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त निम्न अधिनियम इस प्रकार हैं :-

- सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987 :- के अनुसार सती प्रथा के निषेध हेतु जुर्माना एवं कारावास दोनों का प्रावधान है।
- बाल विवाह अधिनियम 1929 व 1976 :- के अनुसार लड़के के विवाह की आयु 21 वर्ष एवं लड़की के विवाह की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। इससे पूर्व विवाह करने को दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है।
- दहेज निवारण अधिनियम 1961 :- में दहेज लेना एवं देना दोनों को दण्डनीय अपराध माना गया है एवं विवाह के 7 वर्ष के भीतर महिला की मृत्यु को प्रथम दृष्टया प्राकृतिक मृत्यु नहीं मानी जायेगी।
- स्त्री अश्लिष्ट रूपण अधिनियम 1986 :- के अनुसार महिला को अश्लील रूप से रेखांकित चित्रांकित एवं विज्ञापित नहीं किया जायेगा जिससे सार्वजनिक नैतिकता को आघात पहुँचे।

- मातृत्व अवकाश अधिनियम 1961 :- के अनुसार कामकाजी महिलाओं को 180 दिन का प्रसूति अवकाश 2 संतानों के जन्म पर सवेतनियक देय होगा।

कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध, निवारण) अधिनियम 2013 :- 'प्रसिद्ध विशाखा बनाम राजस्थान राज्य ए. आई. आर. 1997, एस. सी. 3014' के अन्तर्गत जहां महिला एवं पुरुष दोनों कार्यरत हो तो कार्य स्थल पर महिला यौन उत्पीड़न समिति का गठन किया जायेगा। जिसमें महिला सदस्य अनिवार्य रूप से होगी। इसके अन्तर्गत कार्य स्थल पर महिला से सहवास की मांग करना, अश्लील टिप्पणी करना, पोनोग्राफी दिखाना, लिखित या मौखिक या शारीरिक सम्पर्क आदि, यौन उत्पीड़न की परिभाषा में आते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं राज्य मानवाधिकार आयोग ऐसे मामलों में संज्ञान ले सकेंगा।

हिन्दु विवाह अधिनियम 1956 :- के अन्तर्गत कोई भी महिला अपने पति से तलाक पाने की हकदार हो सकती है। यदि पहली पत्नि के होने पर, पति द्वारा दूसरी शादी करने पर, पति के द्वारा शारीरिक व मानसिक क्रूरता अपनाने पर, पति के सात साल से लापता होने पर, परिणय संबंधों से संतुष्ट नहीं होने पर, पति द्वारा धर्म परिवर्तन करने पर एवं पति के लाइलाज बीमारी से ग्रसित होने पर महिला को तलाक लेने का अधिकार होगा।

भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार :- मैरिज एक्ट सेक्शन 24 के अन्तर्गत तलाक के बाद महिला को अपने पति से अपना एवं बच्चों का भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकारी होगा एवं भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अन्तर्गत भी महिला अपने पति से भरण-पोषण प्राप्त करने की उत्तराधिकारी है।

गिरफ्तारी से सम्बंधित अधिकार :- इसके अन्तर्गत सूर्योदय से पूर्व एवं सूर्यास्त के बाद किसी भी महिला को पूछताछ के लिये पुलिस स्टेशन में नहीं रोका जा सकेंगा महिला से महिला पुलिस ही पूछताछ कर सकेंगी।

कन्या भ्रूण हत्या (पी. एन. डी. टी.) 2002 :- यह ऐसी अमानवीय प्रथा है जिसमें लिंग जाँच द्वारा बालिका भ्रूण में होने पर ही हत्या कर दी जाती है। जिसके कारण जहां 1901 में प्रति 1000 पुरुषों पर 972 महिलाएँ थी वहीं 1991 में इनकी संख्या गिरकर 927 रह गयी। विभिन्न प्रयत्नों के

फलस्वरूप 2011 में यह लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 940 हो पाया है। उपरोक्त अधिनियम में कन्या भ्रूण हत्या रोकने हेतु सोनोग्राफी में लिंग परिक्षण को निषेध किया गया है तथा ऐसा करने वाले व्यक्ति या डॉक्टर के प्रति सजा एवं लाईसेंस निरस्तीकरण का प्रावधान किया गया है।

बलात्कार में संबंधित कानून :- इसमें महिलाओं व मासूम बालिकाओं के साथ होने वाले जघन्य अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए हाल ही में 21 जुलाई 2018 में कैबिनेट ने पी.ओ.एस.एस. ओ. एक्ट में बदलाव करते हुए 12 वर्ष तक की बच्चियों के साथ होने वाले बलात्कार व उसके उपरांत हत्या के मामले में फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है। इनके अतिरिक्त पीड़िता के बयान महिला पुलिस अधिकारी की दर्ज करेंगी एवं महिला जज ही मामले की सुनवाई 2 माह में पूरा करने का प्रयास करेंगी। निर्भया काण्ड के बाद व्यस्क आयु 18 वर्ष से घटा कर 16 वर्ष कर दी गई है।

मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 एवं मुस्लिम स्त्री अधिनियम 1986 :- इन अधिनियम के द्वारा मुस्लिम पत्नी भी अपने पति से तलाक लेने का अधिकार रखती है एवं दण्ड प्रक्रिया की धारा 125 के अन्तर्गत तलाक के पश्चात पति की सहमति से भरण-पोषण प्राप्त कर सकती है। अन्यथा अपने उत्तराधिकारियों से भरण-पोषण प्राप्त कर सकती है। वर्ष 2017 में सायरा बानो बनाम भारत सरकार केस में सर्वोच्च न्यायालय ने तीन तलाक को असंवैधानिक घोषित किया एवं वर्ष 2019 में भारत सरकार ने Muslim women protection of right on marriage act 2019 पारित कर तीन तलाक को अवैध एवं दण्डनीय बना दिया।

लिव-इन-रिलेशनशीप से जुड़े अधिकार :- लिव-इन रिलेशनशीप में महिला को वहीं अधिकार प्राप्त है जो किसी विवाहित को प्राप्त होते हैं। लिव-इन रिलेशनशीप संबंधों के दौरान पैदा हुई संतान को वैध माना जाएगा एवं उसे भी सम्पत्ति में हिस्सा पाने का अधिकार होगा इसी दौरान महिला का पार्टनर या जीवन साथी उसे शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है तो वह घरेलू हिंसा कानून का भी सहारा ले सकती है।

निष्कर्ष :-

भारतीय महिलाओं के लिये विभिन्न प्रावधानों के द्वारा महिलाओं की स्थिति सुदृढ़ करने का प्रयास किया गया है एवं राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रयासों से महिलाओं के मानवधिकारों के हनन पर

रोक लगी है। जब तक हमारे समाज की, महिलाओं के प्रति सोच एवं मानसिकता में परिवर्तन नहीं होगा तब तक कोई भी महिला आत्मसम्मान व गरिमामय जीवन यापन नहीं कर सकती है। वर्तमान में इतने प्रावधानों एवं कानूनों के होने के उपरान्त भी महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न, बलात्कार, दहेज हत्या एवं क्रूरता की घटनाएं बढ़ती जा रही है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आवश्यकता इस बात की है कि, निर्मित कानूनों की अनुपालना को सुनिश्चित किया जावे एवं महिला सशक्तिकरण के सकारात्मक उपाय अपनाये जाये। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष के अनुसार महिलाएँ जब तक अपने अधिकारों के प्रति सतत जागरूकता से संघर्ष नहीं करेंगी तब तक उन्हें उनके अधिकार एवं सम्मान प्राप्त नहीं होंगे।

संदर्भ सूची :-

1. चतुर्वेदी, अरूण, (2006) भारत में मानवाधिकार, पंचशील प्रकाशन जयपुर।
2. कान्त, अंजनी, (2005) महिला एवं बाल कानून सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन, इलाहबाद।
3. कटारिया, सुखपाल, (2011) एक्सप्लायटेशन आफ विमन एण्ड चाइल्ड लेबर, सिंगनेचर बुक इन्टरनेशनल पब्लिकेशन, न्यू दिल्ली।
4. मिश्रा, ज्योत्सना, (2000) वूमन एण्ड ह्यूमन राइट्स, कल्पास पब्लिकेशन, दिल्ली।
5. दिक्षित, मैत्रया, (1998) वूमन अचीवमेंट डायनेमिक पार्टीसिपेशन एण्ड पार्टनरशीप, कनिष्का पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
6. मिनिस्ट्री ऑफ वूमन एण्ड चाइल्ड डेवलपमेन्ट, (2025) भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय प्रकाशन, नई दिल्ली।
7. पारस दीवान, (2017) वूमन एण्ड ला, इलाहबाद ला एजेन्सी, प्रयागराज।
8. एच. के. सहाय, (2016) ला रिलेटिंग टू वूमन एण्ड चिल्ड्रन, इस्टन ला हाउस, कोलकाता।
9. एज के कपूर, (2015) ह्यूमन राइट्स ऑफ वूमन, सेन्ट्रल ला पब्लिकेशन, प्रयागराज।